

विविध बैंक प्रकरण संख्या 65/2021(GCMS : 2021/184) पंजाब नेशनल बैंक  
जरिये श्री निशान्त खुराना, प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक, कार्यलय  
SASTRA केन्द्र, प्रथम तल, मण्डल कार्यलय, नजदीक मीरा चौक, श्रीगंगानगर  
**बनाम मैसर्स अक्षय इंटर प्राईजेज प्राईवेट लिमिटेड जरिये डायरेक्टर 1. श्री  
अक्षय कुमार पुत्र श्री हनुमान पंवार 2. श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री हनुमान पंवार  
मार्फत एफ-229, उद्योग विहार, रीको, जिला श्रीगंगानगर**

**16.02.2022**



**पत्रावली पेश हुई।** प्रार्थी बैंक की ओर से श्री भारत भूषण महेन्द्रा, अधिवक्ता उपस्थित हुए और निवेदन किया कि प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक ने अप्रार्थी मैसर्स अक्षय इंटरप्राईजेज प्राईवेट लिमिटेड जरिये डायरेक्टर अक्षय कुमार एवं राजेन्द्र कुमार द्वारा बैंक के ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण उनके द्वारा बैंक ऋण की सुरक्षा की एवज में बंखक रखी गई सम्पत्ति प्लॉट नं. एफ 229 (2000 वर्गमीटर), इंडस्ट्रीयल एरिया फेस-1, उद्योग विहार जिला श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिए धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 18.10.2021 को प्रस्तुत कर रखा है और अब चूंकि अप्रार्थीगण ऋणियों द्वारा प्रार्थी बैंक की बकाया समस्त राशि जमा करवा दी है इसलिए प्रार्थी बैंक ऋणियों के विरुद्ध इस प्रकरण में किसी प्रकार की आगे कोई कार्यवाई नहीं चाहता है **अर्थात नॉट प्रैस करता है और अगर इस प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाई समाप्त कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।**

**मैंने उक्त तर्कों पर मनन किया** एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 18.10.2021 को एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक, श्रीगंगानगर के द्वारा धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण मैसर्स अक्षय इंटरप्राईजेज प्राईवेट लिमिटेड जरिये डायरेक्टर अक्षय कुमार एवं राजेन्द्र कुमार के विरुद्ध पेश कर ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी मैसर्स अक्षय इंटरप्राईजेज

**जिला नजिस्ट्रेट**  
**श्री गंगानगर**

प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बंधक रखी गई अचल वाणिज्य सम्पत्ति प्लॉट नं. एफ 229 (2000 वर्गमीटर), इंडस्ट्रीयल एरिया फेस-1, उद्योग विहार जिला श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था और अब चूंकि प्रार्थी बैंक इस प्रकरण में आगे किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं चाहते है अर्थात नॉट प्रैस करते है। इस आशय का लिखित पत्र भी प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने पेश किया है, जो पत्रावली में उपलब्ध है। इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक, श्रीगंगानगर द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 16.02.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रुक्मिणी रियार सिहाग)

जिला मजिस्ट्रेट  
श्रीगंगानगर  
श्री गंगानगर